न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

मिसल न0– 148/2025

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र टिकूराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।
2. गुगनराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा ~~251~~ 212 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायलान

निर्णय दिनांक : 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान क्राश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता सं. 111 की 47 बीघा भूमि स्थित है जिसके टीकू पुत्र सोहना जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता सं. 110 की 37 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके भादर, श्रवण, पुत्र तनु जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है।

उदाराम के दो लड़के तनु एवं सोहना हुए है तनु एवं सोहना पुत्रगण उदाराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा सोहना के दो लड़के टीकू एवं हरलाल हुऐ। एव टीकू के फौत होने के उपरान्त तीन लडके अमरसिंह, धर्मपाल, एवं सन्तरण हुऐ एवं हरलाल के चार लड़क शिशपाल, हरलाल, राजेन्द्र एंव भीमराज हुऐ एंव जिसमें से भीमराज भी फौत हो चुके है जिसके वारिसान कमला एवं अमित हुए। एवं तनु के दो लड़के भादर एवं श्रवण हुए तथा भादर एवं श्रवण दोनो फौत हो चुके है भादर के चार लड़के गुगनराम, देवीलाल भंवरलाल एवं रामस्वरूप हुए। रामस्वरूप के फौत होने के उपरान्त दो लड़के रामकुमार एंव उम्मेद हुए, एवं श्रवण पुत्र तनु भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान सुल्तान, रामकुमार हरदत सिंह एवं राजेन्द्र सिंह हुए जिसमें से हरदत सिंह एंव रामकुमार दोनो फौत हो चुके है एवं रामकुमार के पत्नि सुमित्रा एवं हरदत सिंह की धर्मपत्नि राजबाला एवं अभिषेक वारिस हुऐ। रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के ख.न. 111 की 47 बीघा भूमि का हरलाल व टिकूराम ने सहमति से खाता विभाजन करवा लिया एवं रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के ख.न. 110 की 37.03 बीघा भूमि का भादर एवं श्रवण पुत्र सोहना ने खाता विभाजन करवा लिया एवं वादग्रस्त भूमि हमेशा से ही सायलान के पूर्वजो के कब्जा काश्त में रही है तथा पूर्व में सायलान के पूर्वजो के कब्जा काश्त में रही है। एवं वर्तमान में वाद भूमि उनके वारिसा के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा निरन्तर निर्बाध रूप से वाद भूमि पर सायलान एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के ख.न. 110/1 की 32. 3 बीघा भूमि श्रवण तनुराम को वाद भूमि पर काबिज रहे एवं ख.न. 110/2 की 5 बीघा भूमि पर भादर राम पुत्र तनुराम के कब्जा काश्त में रही है एवं रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के ख.न.

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

111 की 47 बीघा भूमि टिकुराम पुत्र सोहना खातेदार काश्तकार हुए तथा वाद भूमि पर काबित चल आ रहे है तथा भूमि का खाता तक्सीम होने के उपरान्त उसके वारिसान के कब्जा काश्त में अनवरत चली आ रही है तथा मौके पर सायलान एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा सुधार कर–काश्त हेतु तैयार कर रखी है ताकि बारिस होने के उपरान्त वाद भूमि काश्त की जा सकें। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के ख0न0 110/1 की 0.506 हैक्ट, ख0न0 110/2 की 0.506 हैक्ट, ख0न0 111/2 की 1.0120 हैक्ट की यथास्थिति बनाये रखे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अराजीराज काबिल काश्त दर्ज है एवं प्रार्थीगण द्वारा सरकार को पाबन्द करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को धारा 22 के नोटिस जारी किये गये है अत अर्प्री 0 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर